24

आर्थिक व्यवस्था की संकल्पना और प्रकार

* *आर. नलिनी*

प्रस्तावना

स्वतंत्रता के बाद भारत और इसके नेताओं ने राष्ट्र निर्माण के कार्य निर्धारित किए। निर्धनता, अशिक्षा, बीमारी और असमानता पर ध्यान केंद्रित किया गया। सुनियोजित विकास व्यवस्थाएँ सभी नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर प्रदान करने के उद्देश्य का अनुसरण कर रही थी।

भारत कल्याणकारी राज्य के रूप में अपने दायित्व निभाने में कुछ हद तक सफल रहा था। अनेक समाज कल्याण के उपाय आरंभ किए गए थे, तथा धनी और निर्धन के बीच अंतर को कम करने के लिए अनेक अधिनियम बनाए गए तथा नीतियाँ लागू की गई। जनसंख्या में वृद्धि तथा लोगों में बड़े आर्थिक परिवर्तन करने वाली आर्थिक व्यवस्थाएँ आर्थिक सुधारों को धीमा करने वाले नज़र आ रहे थे।

इस पृष्ठभूमि के विरुद्ध भूमंडलीकरण भी आरंभ हो रहा था। यह 1980 के दशक के उत्तरार्द्ध में कहीं था और भारत भी इसके आकर्षण में आ गया था मुख्य कारण था, इसका वित्तीय सांधनों का अभाव और आखिरकार हमने अपनी अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय निगमों के लिए खोल दिया और कल्याणकारी राज्य के रूप में सरकार ने अपनी भूमिका को सीमित करना आरंभ कर दिया। अनेक सार्वजनिक उपक्रमों (पी.एस.यू.) का निजीकरण किया गया तथा छंटनी करने और बंद करने वाले उपक्रमों की काफी अधिक संख्या है। कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था विशेषतः नौकरी बाज़ार में अस्थिरता है।

---

* *आर. नलिनी, अदिति महाविद्यालय, नई दिल्ली*

इस मोड़ पर सामाजिक कार्य व्यवसाय का इन परिस्थितियों में होने वाले आश्चर्यजनक कार्य में गरीबी दमन के अपने मुख्य उद्देश्य में योगदान करना आवश्यक हो जाता है।

आर्थिक व्यवस्था की संकल्पना और प्रकार

आर्थिक व्यवस्था

अर्थव्यवस्था एक संस्था होती है जिसके माध्यम से नागरिक अपना जीवनयापन करते हैं। अपनी आंतरिक समस्याओं से निपटने के लिए प्रत्येक अर्थव्यवस्था के संचालन संबंधी कुछ नियम और कानून होते हैं जिन्हें **संस्थाएँ** कहा जाता है। संसाधन, उद्योग, उसके सदृश अन्य कार्य, धन आदि आर्थिक संस्थाओं के उदाहरण हैं। **आर्थिक व्यवस्था** अपनी विशिष्ट संस्थाओं के साथ अर्थव्यवस्था के संबंधितों के बीच सहयोग का स्वरूप है। यह उन संस्थाओं की संरचना है जो अर्थव्यवस्था को दिशा प्रदान करते हैं।

उत्पादन साधनों का स्वामित्व किसी राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था के स्वरूप का निर्धारक होता है। इसका अर्थ है उत्पादन के साधनों का निजी, सरकारी या संयुक्त स्वामित्व राष्ट्र अपने सीमित संसाधनों में से पूरी की जाने वाली आवश्यकताओं का सावधानीपूर्वक चयन करता है।

राज्य संस्थाओं के साथ उत्पादन, उपभोग, वितरण और विनिमय की आर्थिक गतिविधियाँ अपने आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निर्धारित प्रबंध का पालन करती है। ये प्रबंध ही आर्थिक व्यवस्थाओं में विकसित होते हैं।

आर्थिक व्यवस्था की विशेषताएँ

व्यवस्थित संस्थात्मक प्रबंध

मानव निर्मित कार्य

विकासशील, गतिशील और लचीलापन

आर्थिक व्यवस्थाओं के प्रकार

पूँजीवाद

अमेरिका पूँजीवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। हम अमेरिका की अर्थव्यवस्था के बारे में क्या जानते हैं? उत्पादन साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों और संस्थाओं के हाथ में है। यह पूरी तरह बाज़ार आधारित है और सभी आर्थिक गतिविधियों का संचालन सिद्धांत लाभ है जो माँग और पूर्ति की शक्तियों से नियंत्रित होता है जिसका अभिप्राय है कि जिस चीज की माँग है अत्यधिक लाभ होने तक उसका उत्पादन किया जाएगा। उपभोक्ता सर्वोच्च घटक है जिसके चारों ओर विकल्प, वस्तुएँ और सेवाएँ निर्भर करती हैं। इसे मुक्त बाज़ार अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है क्योंकि सभी नागरिक कोई व्यवसाय या समझौता करने को लिए स्वतंत्र है।

आर.टी. बाइट के शब्दों में, "पूँजीवादी अर्थव्यवस्था को आर्थिक संगठन की ऐसी प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें मुक्त कार्य, प्रतिस्पर्धा और संपत्ति का निजी स्वामित्व प्रायः विद्यमान रहता है।"

पूँजीवाद की मुख्य विशेषताएँ

मूल्य प्रणाली : पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में बाहरी हस्तक्षेप के अभाव में मूल्य माँग और पूर्ति के गतिशील स्वरूप के अनुसार निर्धारित होते हैं। गुणवत्ता, मात्रा या संख्या और उत्पादन स्थल के निर्णय मूल्य प्रणाली के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं।

उद्यम की स्वतंत्रता : सभी नागरिक अपनी पसंद और क्षमता के आधार पर किसी भी कार्य या व्यवसाय का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। वे अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार उत्पादन के साधनों का उपयोग कर सकते हैं।

प्रतिस्पर्धा : बाज़ार अर्थव्यवस्था और मूल्य प्रणाली की विद्यमानता के कारण प्रतिस्पर्धी लोगों की अत्यधिक संख्या होती है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति उत्पादन के अपने साधनों का चयन कर सकते हैं और लाभ अर्जन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता।

लाभोन्मुख : सभी आर्थिक गतिविधियाँ लाभ से संचालित होती हैं।

उपभोक्ता का आधिपत्य : पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में "उपभोक्ता/ग्राहक राजा" है का सिद्धांत कार्य करता है। चूँकि उपभोक्ता/ग्राहक अपनी पंसदों के माध्यम से बाज़ार में माँग और पूर्ति का निर्णय करने वाला होता है अतः उसकी संतुष्टि को सर्वोच्च ध्यान रखा जाता है।

श्रम वस्तु के रूप में : बाज़ार में श्रम अपना श्रम उपयोग करने में असमर्थ अपर्याप्त उत्पादन साधनों वाले व्यक्तियों से मूल्य माँग वेतन के बदले उपलब्ध होता है।

सरकारी हस्तक्षेप का अभाव : सरकार की भूमिका अपने नागरिकों को विदेशी हमले, आतंकवादी कार्रवाइयों से बचाना और राज्य में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने की होती है। यह आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करती।

पूँजीवाद के लाभ

- आर्थिक स्वतंत्रता
- कार्य का समान अधिकार
- धन कमाने का अधिकार
- वस्तुओं और सेवाओं के घने विकल्प
- सफलता और परिश्रम को प्रोत्साहन
- उपभोक्ता मुख्य केंद्र बिन्दु
- गुणवत्ता युक्त उत्पादन

पूँजीवाद की हानियाँ

- धन का असमान वितरण
- जनकल्याण की उपेक्षा
- बार-बार उतार-चढ़ाव के जोखिम
- कठोर प्रतिस्पर्धा
- संपन्न और निर्धन के बीच टकराव
- उपभोक्ता की प्रमुखता भ्रम बन जाती है क्योंकि अधिकतर उपभोग विकल्प विज्ञापन और बिक्री प्रचार के द्वारा निर्देशित होते हैं।

समाजवाद

वर्तमान में वास्तविक समाजवादी देश कोई नहीं है। स्वयं को पूँजीवादी अमेरिका के विरुद्ध होने का दावा करने वाले सोवियत रूस के विघटन के बाद समाजवादी अर्थव्यवस्था होने के बारे में संदेह व्यक्त किया जाता है। यहाँ तक चीन ने भी ऐसे उपाय अपनाने आरंभ कर दिए हैं जिन्हें समाजवादी अर्थव्यवस्था की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।

फिर भी, समाजवाद में आर्थिक व्यवस्था सरकार द्वारा लागू और नियंत्रित की जाती है। इसका उद्देश्य समाज का कल्याण करना और समानता स्थापित करना है।

लेफ्ट विच के शब्दों में, "समाजवाद में राज्य की भूमिका केंद्र में होती है। उत्पादन के साधनों पर इसका स्वामित्व होता है और यह आर्थिक गतिविधियों को निर्देशित करता है।"

मुख्य विशेषताएँ

सामाजिक या सामूहिक स्वामित्व : उत्पादन के सभी साधन समाज के अधीन होते हैं और उनका सरकार द्वारा उपयोग किया जाता है। किसी भी रूप में किसी व्यक्ति के स्वामित्व को प्रोत्साहित नहीं किया जाता। फिर भी, व्यक्ति निजी संपत्ति रख सकता है जो उसके अस्तित्व के लिए आवश्यक है।

केंद्रीय योजना निर्माण प्राधिकरण : उपलब्ध संसाधनों (मानव और भौतिक) के सर्वेक्षण के आधार पर सरकार द्वारा एक केंद्रीय योजना निर्माण प्राधिकरण स्थापित किया जाता है जो आर्थिक विषयों को निर्धारित करता है। इसी के अनुसार पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कार्यान्वयन योजना बनाई जाती है। योजना निर्माण प्राधिकरण समग्र अर्थव्यवस्था के लिए योजनाएँ बनाता है।

सरकारी नियंत्रण : यह सभी आर्थिक गतिविधियों और केंद्रीय योजना निर्माण में भी कायम रहता है। केंद्रीय योजना निर्माण प्राधिकरण की योजनाएँ सरकार के अनुमोदन के बाद ही लागू की जाती है।

समाज कल्याण : अपने सभी नागरिकों का समाज कल्याण करने का श्रेष्ठ कार्य करने के द्वारा किया जाता है। सरकार बहुत ऐसे आर्थिक कार्य करती है जो हो सकता है लाभदायक न हो। यह सभी के कल्याण का सपना पूरा करने के लिए किया जाता है।

समाजवाद के लाभ

- आर्थिक संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग
- बुनियादी समस्याओं का अपेक्षाकृत सही समाधान
- बार-बार के उतार-चढ़ाव में कमी
- शीघ्र और संतुलित आर्थिक विकास
- आमदनी का समान वितरण
- आर्थिक संकटों का मुकाबला करने के अपेक्षाकृत साधन

हानियाँ

लागत गणना का उपयुक्त आधार नहीं : इस व्यवस्था की गंभीरतम आलोचना यह है कि इसके अंतर्गत लागत की गणना करने के आधार ज्ञात करना कठिन है। इन आधारों के बिना न तो अर्थव्यवस्था प्रभावी ढंग से कार्य कर सकती है और न ही संसाधनों का उपयुक्त ढंग से उपयोग किया जा सकता है।

रहस्य का पर्दा : समाजवादी अर्थव्यवस्था के रूप में रूस के सोवियत संघ का उदाहरण देते हुए देश का वर्णन करने के लिए हम "लोहे का पर्दा" कथन के प्रयोग को याद करते हैं। सभी आर्थिक गतिविधियों और उनके परिणाम तब तक संरक्षित बने रहे जब तक सभी चीज़ें ताश के पत्तों के महल की तरह एक दिन ढह न गईं।

- उपभोक्ता प्रभुता की समाप्ति
- व्यक्तिगत दक्षता और उत्पादकता का कोई महत्व नहीं
- योजना के सही कार्यान्वयन में कठिनाइयाँ
- स्वतंत्रता का अभाव
- कार्य के लिए प्रोत्साहन/प्रेरणा का अभाव

मिश्रित आर्थिक व्यवस्था

स्वतंत्रता के बाद भारत जब एक आर्थिक व्यवस्था का चयन कर रहा था तब जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में राष्ट्र ने पूँजीवाद और समाजवाद के मिश्रित स्वरूप को अपनाने का निर्णय किया। मिश्रित अर्थव्यवस्था जो ठीक भी है नामक इस अर्थव्यवस्था का उद्देश्य दोनों व्यवस्थाओं के सर्वोत्तम को शामिल करना था। इसकी विशेषता थी निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों का संयुक्त संचालन और उसी के अनुसार आर्थिक संसाधनों का आवंटन किया जाता है।

एनाटोल मुराड के शब्दों में, "मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें सरकार और निजी व्यक्ति आर्थिक नियंत्रण रखते हैं।

मुख्य विशेषताएँ

निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों की साझेदारी : सार्वजनिक क्षेत्र आम व्यक्ति का अधिक कल्याण करने का प्रयास करता है, आमदनी के अधिक समान वितरण के लिए कार्य करता है तथा कल्याणकारी राज्य के आदर्शों को बढ़ावा देता है। निजी स्वामित्व को भी विशिष्ट दायित्व सौंपे जाते हैं।

सुनियोजित अर्थव्यवस्था और सरकारी नियंत्रण : आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए दोनों क्षेत्रों द्वारा पालन किए जाने के लिए सरकार द्वारा देश के लिए आवधिक योजनाएँ बनाई जाती हैं। सामाजिक कल्याण के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने और प्रोत्साहित करने के लिए निजी क्षेत्र को सरकार द्वारा विनियमित और नियंत्रित किया जाता है।

निजी संपत्ति और आर्थिक समानता : निजी संपत्ति का अधिकार करने के साथ सरकार कानूनों, करों और कल्याणकारी कार्यक्रमों के उपयुक्त मिश्रण के माध्यम से आमदनी और धन के समान वितरण को सुनिश्चित करती है।

मूल्य प्रणाली और नियंत्रित अर्थव्यवस्था : कुछ अनिवार्य वस्तुओं जैसे घरेलू ईंधन, रेल के किराए-भाड़े, डाक शुल्क आदि सार्वजनिक क्षेत्र के हाथ में हैं और मूल्य प्रणाली भी विद्यमान है।

लाभ उद्देश्य और समाज कल्याण : यह पुनः पूँजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं के उद्देश्यों का मिश्रण है। फिर भी यदि सरकार का यह विचार है कि कोई निजी क्षेत्र का उद्योग समाज की उन्नत्ति में बाधक है तो उसके राष्ट्रीयकरण का सहारा लिया जाता है।

लाभ

- आर्थिक स्वतंत्रता और पूँजी निर्माण
- प्रतिस्पर्धा और प्रभावशाली उत्पादन
- संसाधनों का प्रभावशाली आबंटन
- योजनाओं के लाभ
- अर्थव्यवस्था की समानता
- शोषण से मुक्ति

हानियाँ

अस्थिर अर्थव्यवस्था : भारत में वर्तमान प्रवृत्ति पूँजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ तीव्र परिवर्तन वाली है। कुछ दशक पूर्व समाजवादी अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित था। किसी एक समय में शक्ति के आधार पर एक क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र पर आधिपत्य रहता है जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था किसी एक क्षेत्र की तरफ झुकी रहती है। यह स्थिति दीर्घकाल में अर्थव्यवस्था को अस्थिर कर सकती है।

प्रगति में बाधा : दो घोड़ों पर सवार होने की तरह मिश्रित अर्थव्यवस्था में न तो निजी क्षेत्र को मुक्त होकर कार्य करने दिया जाता है और न ही सार्वजनिक क्षेत्र अधिकतम दक्षता से कार्य करता है। यह स्थिति दोनों क्षेत्रों में वांछित प्रगति को रोक देती है।

- दक्षता का अभाव
- भ्रष्टाचार

कल्याणकारी राज्य

अभिप्राय

जब भूकंप ने गुजरात को नष्ट कर दिया तो पूरे राष्ट्र की सहायता से सरकार ने पीड़ित व्यक्तियों के लिए राहत प्रदान की। आज भी सरकार इन परिवारों के पुनर्वास के लिए खर्च करती है। इसी प्रकार सरकार अपनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस) के संचालन के लिए आर्थिक मदद प्रदान करना और विद्यालय के छात्रों को मध्याह्न में भोजन प्रदान करना ये सब समाज कल्याण के उद्देश्य हैं। आखिरकार जैसा कि हमारे संविधान में वर्णित है सरकार ने सब प्रयत्न कल्याणकारी राज्य के रूप में करती है।

कल्याणकारी राज्य अपने नागरिकों के पूर्ण जीवन काल तक रक्षा करने के रूप में कार्य करता है। अधिकतम संभव सीमा तक सहायता प्रदान करने के साथ-साथ कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य न्यूनतम स्वास्थ्य स्तर, आर्थिक सुरक्षा, और सभ्य जीवन जीने के लिए सहायता भी प्रदान करता है जिसके द्वारा वह अपने नागरिकों को उनकी योग्यता के अनुसार राष्ट्र की सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत में शामिल होने में सक्षम बनाता है। इस प्रकार एक कल्याणकारी राज्य :

- विरोध न करते हुए न्यूनतम आमदनी तथा कार्य के बाज़ार मूल्य का आश्वासन देता है।
- सामाजिक घटनाओं के लिए धन आबंटित करता है जो बाद में घटना से पीड़ित व्यक्ति या परिवार तक ही पहुँचता है।
- वर्ग या नस्ल आदि का भेद किए बिना सभी नागरिकों को व्यापक समाज सेवाएँ प्रदान करता है।

अपने नागरिकों का कल्याण करना ही कल्याणकारी राज्य का प्रमुख उद्देश्य होता है। भारत जैसे देशों में इसमें सामाजिक बीमा और सामाजिक सहायता योजनाएँ शामिल हैं। सामाजिक सहायता का रूप है मुफ्त शिक्षा, चिकित्सा देखभाल, कल्याण योजनाएँ और कमज़ोर वर्गों का विकास आदि जबकि बीमारी, बेरोज़गारी और दुर्घटना आदि के लिए बीमा करना सामाजिक बीमा की श्रेणी में आता है। जनता के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए कल्याणकारी राज्य उन्हें सामाजिक

सुरक्षा प्रदान करता है जिसमें अभावग्रस्त समूहों का विशेष ध्यान रखा जाता है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु राज्य में बेरोज़गार युवाओं को रोज़गार प्राप्त होने तक प्रतिमाह एक राशि प्रदान की जाती है। यह सामाजिक सहायता है, लेकिन कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत श्रमिकों को चिकित्सा लाभ भी प्रदान करता है और यह सामाजिक बीमा है।

विशेषताएँ

वंचितों को सेवाएँ प्रदान करने के लिए कल्याणकारी राज्य राहत, अनुसंधान और पुनर्वास स्वरूप के आधार पर कार्य करता है। जैसे जब कोई व्यक्ति एकदम निर्धन होता है तो बुनियादी आवश्यकताएँ पूरी करने के रूप में सहायता की जाती है, उसकी निर्धनता के कारणों की वैज्ञानक जाँच की जाती है और उसे उपयुक्त आमदनी का स्थाई साधन उपलब्ध कराया जाता है। प्रभावशाली समाज के वंचित वर्गों के कल्याण और विकास के लिए धनाढ्य लोगों की आमदनी का पुनर्वितरण कल्याणकारी राज्य के कर्त्तव्यों का एक भाग है। उल्लेखनीय यह है कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना विश्वास करती है कि कोई भी व्यक्ति बिना उसके दोष के निर्धन हो सकता है।

कल्याणकारी राज्य के तीन कर्त्तव्य (Es)

कोई भी कल्याणकारी राज्य निम्नलिखित तीन दृष्टिकोणों से कार्य करता है :

- सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से लोगों के न्यूनतम जीवनस्तर को सुनिश्चित करना
- संपन्न व्यक्तियों से धन लेकर निर्धनों को पहुँचाने के माध्यम से आमदनी का समान वितरण करना।
- उत्पादन बढ़ाकर राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना।

भारत एक कल्याणकारी राज्य

भारतीय संविधान अपनी सरकार को एक कल्याणकारी राज्य बनाने का निर्देश देता है। यह सरकार के साथ निम्नलिखित प्रदान करने का अनुबंध करता है :

- सभी नागरिकों को जीवनयापन के पर्याप्त साधनों का अधिकार
- कार्य का अधिकार

- शिक्षा का अधिकार
- बेरोज़गारी, वृद्धावस्था, बीमारी और दुर्घटनाओं में सरकार से सहायता प्राप्त करने का अधिकार
- सभी कार्य करने वालों के लिए कार्य की मानवीय दशाएँ और श्रेष्ठ जीवनस्तर प्रदान करना।

संविधान राज्य से स्वामित्व के उचित विभाजन व उत्पादन साधनों का नियंत्रण करने, धन संग्रहण की रोकथाम करने तथा श्रमिक वर्ग विशेषतः महिलाओं और बच्चों के साथ किसी भी रूप में धोखेबाजी को रोकने के लिए कार्य करने की भी अपेक्षा रखता है।

इसलिए सरकार ने विभिन्न प्रकार के कानून लागू किए हैं। जैसे :

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948

कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952

श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923

प्रसूति लाभ अधिनियम, 1961

फैक्टरी अधिनियम, 1948

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

बागवानी श्रम अधिनियम, 1951

खादान अधिनियम, 1952

अधिलाभ (बोनस) भुगतान अधिनियम, 1965

उपदान (ग्रेच्यूटी) अधिनियम, 1972

इन अधिनियमों से श्रमिकों/कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा निश्चित की गई है। कई सामाजिक अधिनियम और कानून समाज के सुविधाविहीन वर्गों (महिला, बच्चे, अशक्त, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदि) के अधिकारों की रक्षा के लिए भी पारित किए गए हैं।

भूमि की चकबंदी अधिनियम और कराधान स्वरूप धन के सही वितरण को लागू करने के लिए बनाए गए हैं। साथ ही निर्धनों को स्थाई रोज़गार और आमदनी प्राप्त

करने में सक्षम बनाने के लिए विकास गतिविधियों को भी अनुकूल बनाया गया है।

भिन्न रूप से सक्षम और समाज की मुख्यधारा से अलग आदि समूहों के कल्याण और पुनर्वास को भी योजनाओं और कानूनों के द्वारा पूरा किया जाता है। शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं (प्रजनन और बाल स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करना) वाले सामाजिक क्षेत्र की बुनियादी सुविधाएँ पूरी की जाती हैं। फिर भी, वर्तमान आर्थिक स्थिति सरकार को कल्याणकारी राज्य दायित्व से धीरे-धीरे विचलित होने को विवश कर रही है।

कल्याणकारी राज्य संचालन में निम्नलिखित समस्याएँ सामने आती हैं :

- आर्थिक रूप से अनुत्पादक सामाजिक क्षेत्र के भारी खर्च को पूरा करने को लिए उच्च कराधान
- जनता का राज्य पर अप्रत्यक्ष रूप से (समाज कार्य योजनाओं के माध्यम से) आश्रित होने के लिए प्रोत्साहन मिलना
- श्रमिक वर्ग विशेषतः पी एस यूज में आत्म संतुष्टि की संभावना होना
- मूल्य स्तर में वृद्धि होना
- नियंत्रणों का प्रयोग करना
- वोट बैंक को बनाए रखने के लिए कल्याणकारी योजनाओं का दुरूपयोग होना
- अत्यधिक भ्रष्टाचार होना।

भूमंडलीकरण, बाज़ार अर्थव्यवस्था और उदारीकरण

भूमंडलीकरण

यह उत्पादन और संसाधनों का सार्वभौमिककरण, उपयोगकर्ता की रुचियों का मानकीकरण तथा विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई.एम.एफ.), और विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) द्वारा विधिवत सरलीकृत वैधकरण की प्रक्रिया है। यह मुक्त व्यापार की सीमा मुक्त सरकार और प्रतिस्पर्धा पर आधारित लेन-देन

का मार्ग है। यह संसार के आरंभ करने के लगभग एक दशक बाद भारत में 1991 में आरंभ किया गया था। उदाहरण के लिए मैक डोनाल्ड के फास्ट फूड और कोला पेयों की उपलब्धि देश में भूमंडलीकरण प्रक्रिया की जड़ जमाने के सही संकेत हैं।

भूमंडलीकरण प्रक्रिया का एक अन्य बोध यह है कि आर्थिक दिशाओं के होने वाले अंतर्राष्ट्रीय परिणामों के बदले राज्य खर्च बहुत कम होता है, आर्थिक छूट कम हो जाती है तथा निजीकरण को कहने भर को प्रोत्साहन मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय रूप से इसका अर्थ है "सीमा पार वस्तुओं, सेवाओं, पूँजी, सूचना और निवेश की गतिविधियाँ।"

निजीकरण

यह सरकारी उद्यमों में निजी स्वामित्व, प्रबंधन और नियंत्रण लागू करने का द्योतक है। इसमें शामिल हैं :

- संपत्ति अधिकारों का जनता से निजी क्षेत्र में हस्तांतरण
- सार्वजनिक सेवा संविदाओं को निजी क्षेत्र में सौंपना
- विनियमीकरण/नियंत्रण युक्त करना (सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित क्षेत्रों को निजी क्षेत्र के लिए भी खोला जाएगा)
- बिक्री के द्वारा स्वामित्व का निजीकरण करना
- लीज (पट्टे) और प्रबंधन संविदाओं का प्रयोग कर प्रबंधन का निजीकरण
- उद्यमों को बंद कर और उनकी संपत्तियों आदि की बिक्री से धन एकत्रित करना।

यह देखा गया है कि सरकार उन क्षेत्रों में अपना खर्च कम कर रही है जहाँ दबाव समूहों से कम प्रतिरोध का सामना करना पड़े। यह हल्के क्षेत्रों और हल्का समझे जाने वाले सामाजिक क्षेत्रों को निकाल रही है। सामाजिक क्षेत्रों में भी खर्च की कुछ मदें जो न्यून सुविधा वर्गों की सहायता के लिए थी उन पर पहले कुल्हाड़ी चलाई गई है।

बाज़ार अर्थव्यवस्था

बाज़ार अर्थव्यवस्था सोवियत रूस के विघटन के बाद विश्व में एकल शक्तिशाली आर्थिक शक्ति के रूप में प्रकट हुई है। इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव होते हैं। रचनात्मक/सकारात्मक प्रभाव में यह प्रतिस्पर्धात्मक होने के कारण दक्षता लाती है, माँग और पूर्ति के सिद्धांत का पूरी तरह पालन करती है और इसके द्वारा उपभोक्ता की सर्वोच्चता को बढ़ावा प्रदान करती है।

नकारात्मक बाज़ार अर्थव्यवस्था

- सामाजिक हितों की तुलना में आर्थिक हितों के प्रभुत्व पर जोर देती है और इस प्रकार सामाजिक दायित्वों की अनदेखी करती है।
- वंचितों की आवश्यकताएँ पूरी करने की सामाजिक आवश्यकताओं के ऊपर वैयक्तिक लाभ को महत्व देती है।
- सार्वजनिक कल्याण की कीमत पर आत्म-सम्मान और आत्मसेवा पर जोर देती है।

इस व्यवस्था में आत्म नियंत्रण नहीं होता। इसलिए धनी और अधिक धनी तथा निर्धन और अधिक निर्धन होता जाता है। कुल मिलाकर यह उपयुक्त नहीं है। जीवित बचेगा की परंपरा को प्रोत्साहन प्रदान कर विकास के मानवीय पक्ष को नकारती है।

संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम (एस.ए.पी.)

भारत को 1990 के दशक के आरंभ में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा जिससे इसके वाणिज्य और व्यापार पर गंभीर प्रभाव पड़ा। यह विदेशी मुद्रा संकट से आरंभ हुआ और इसके बाद खाड़ी युद्ध हो गया। सरकार ऊँची दर पर पेट्रोलीय पदार्थ आयात करने पर विवश हो गई जिससे आयात खर्च काफी बढ़ गया। पिछले व्यापारिक ऋण, उच्च मुद्रा स्फीति दर, बढ़ते खाद्य पदार्थ मूल्य तथा विभिन्न देशों द्वारा नए ऋण देने से इंकार करने के कारण हमारी अर्थव्यवस्था पर काफी दबाव पड़ा। स्पष्टतः पहले के सरकारी बजट घाटे से मुद्रा और वित्तीय घाटा बढ़ता जा रहा था। निर्यात में कमी, अधिक आयात से औद्योगिक उन्नति

दर नगणय थी और ऐसे हालातों में स्पष्ट होता जा रहा था कि सरकार अपने ऋणों का भुगतान नहीं कर सकेगी। स्वस्थ आर्थिक स्थिति बनाने की मुहिम में भारत सरकार ने संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम (एस.ए.पी.) को अपनाया।

संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम (एस.ए.पी.)

- 'एस.ए.पी. को व्यापारिक और निवेश संबंधी नियंत्रणों को घटाकर देश के विदेशी निवेश वातावरण में सुधार करने के लिए बनाया गया।
- निर्यातों को प्रोत्साहित कर विदेशी मुद्रा विनिमय आमदनी को बढ़ाया गया तथा
- सार्वजनिक खर्च में कटौती करके सरकारी घाटे (सरकारी खर्च और करों में वृद्धि तथा सहायता में प्राप्त राशि का अंतर) को कम किया गया।'

एस ए पी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष - विश्व बैंक की शर्तों का एक भाग होता है। इसके मुख्य कारक हैं :

- घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन करना
- सार्वजनिक सेवाओं पर सरकारी खर्च में कमी करना
- मूल्य नियंत्रण को समाप्त करना
- वेतन नियंत्रण लागू करना
- व्यापार एवं विदेशी मुद्रा विनिमय नियंत्रण कम करना
- घरेलू ऋण पर प्रतिबंध लगाना
- अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका कम करना।

भारत में एस ए नीति के संदर्भ में प्रस्तावित आई एम एफ विश्व बैंक सुधार निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं :

क) भारतीय अर्थव्यवस्था को सीमा शुल्क घटाकर अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा के लिए खोलना, किफायती शर्तों पर विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान कर

बहुराष्ट्रीय निगमों और विदेशी निवेशकों को आकर्षित करना।
सार्वजनिक क्षेत्र की पुनर्संरचना करना जिसमें हानि उठाने वाली इकाइयों को बंद करना, उनके और विस्तार को रोकना तथा लाभ अर्जित करने वाली इकाइयों में कुछ हद तक निजीकरण स्थापित करना शामिल हो।

ख) योजना निर्माण और परिवर्तित होने वाली प्राथमिकताओं की भूमिका में कटौती करना।

ग) कर दायरा बढ़ाने, उत्पाद शुल्क में वृद्धि कर साथ ही मूल्य संवर्धित सिद्धांतों को लागू करने और फिर खाद्य, उर्वरक और निर्यात पर आर्थिक छूट में कटौती करने के द्वारा वित्तीय सुधार लागू करना।

घ) रक्षा खर्च में कटौती करना।

ड.) इन्हें "नई आर्थिक नीति" के रूप में मान्यता देना कहा जाता है।

धनी और निर्धन के बीच बढ़ता अंतर

भारत में भूमंडलीकरण प्रक्रिया ने सरकार को वंचितों के कल्याण की अपने जिम्मेदारी सीमित करने के लिए विवश कर दिया और श्रम बाज़ार में रोज़गारों की संख्या और प्रस्तुत स्वरूपों में व्यापक परिवर्तन हुए हैं। नौकरी सुरक्षा पर सर्वाधिक चोट हुई है। जैसा कि प्रमाण है। कार्य बल को छंटनी और स्वेच्छा सेवा निवृत्ति के माध्यम से कम करना भारत की सामान्य विशेषता है। हमने यह भी देखा है कि सरकार सामाजिक क्षेत्र के लिए धन आवंटित करने में असमर्थ है। वित्तीय घाटे में कमी अपरिहार्य है जिसमें चार बड़े समूहों में आर्थिक छूट में कमी तथा दीर्घकाल में समाप्त करना शामिल है।

- खाद्य आर्थिक सहायता
- उर्वरक आर्थिक सहायता
- निर्यात आर्थिक सहायता
- विद्युत, सड़क परिवहन, सिंचाई, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में उपयोगकर्ता शुल्क बढ़ाना। छण्च्य उपर्युक्त के अतिरिक्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कठिन पुनर्संरचना भी की गई।

इस प्रवृत्ति का निर्धनता और लिंगीय (महिला संबंधी) विषयों पर अनुचित प्रभाव पड़ेगा। ये उपाय जनता के संवेदनशील भाग पर प्रभाव डालेंगे जिनके लिए बुनियादी आवश्यकता के मूल्य बढ़ जाएँगे। इस प्रक्रिया में निर्धन वहीं रहेंगे या और अधिक निर्धन हो जाएँगे जिससे उनका जीवन स्तर और निम्नतर हो जाएगा। वंचित वर्ग की बुनियादी आवश्यकताएँ मुख्य केंद्र बिंदु होने के कारण शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला विकास आदि अन्य विकास आवश्यकताएँ गौण हो गई। आर्थिक सहायताएँ समाप्त करने से धनी और निर्धन के बीच का अंतर बढ़ता जाएगा। बुरा स्वास्थ्य और कम शिक्षा आगे निर्धन की सुभेद्यता को और अधिक बढ़ाएगी।

"भूमंडलीकरण ने जन सांख्यिकीय प्रक्रिया पर प्रत्यक्ष प्रभाव डाला है। इनमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में लोगों का आना-जाना, स्वास्थ्य और प्रजनन परिणाम तथा आयु संरचना में परिवर्तन होना शामिल है। अगले 15 वर्षों में 6.2 बिलियन की विश्व की आबादी में 1 और बिलियन लोग शामिल हो जाएँगे और लगभग सभी विश्व के निर्धनतम देशों में बढ़ेंगे। शहरी आबादी स्थाई विकासों का मुकाबला करने के लिए तेज़ी से बढ़ेगी। भूमंडलीकरण से भारतीय कृषि के साथ क्या घटित होगा? जिसके पास क्रय शक्ति है श्रेष्ठ उपभोग्य वस्तुओं पर अधिकार कर सकता है। लाखों का पेट भरने के लिए क्वालिटी की अपेक्षा मात्रा की आवश्यकता होगी जो बाज़ार अर्थव्यवस्था के भूमंडलीकरण के फलस्वरूप विकासशील देशों की तात्कालिक चिंता हो जाएगी।"

यह भूमंडलीकरण प्रक्रिया सामाजिक न्याय को गंभीर रूप से बाधित करेगी। यह सरकारी स्वायता में कमी करेगी क्योंकि वर्तमान अधिकांशतः सरकार ही सामाजिक न्याय का आश्वासन देती है।

अधिकांश निजीकरण से सरकारी क्षेत्र में रोज़गार के अवसर समाप्त होने आरंभ हो गए हैं। इससे समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए रोज़गार मुहैया कराने का कारक प्रभावित होगा। हम सभी जानते हैं कि निजी क्षेत्र विकलांगों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या महिलाओं के लिए नौकरियों में आरक्षण नीति का पालन नहीं करता। लाभ अर्जित करने वाली अर्थव्यवस्था के कारण ये कल्याणकारी उपाय प्रभावित होंगे। यह देश की उन्नति पर बुरा प्रभाव डालेगा क्योंकि ऐसी परंपराओं के माध्यम से सरकार अभावग्रस्त वर्गों के विकास और

आत्म निर्भरता की तरफ संघर्ष कर रही थी।

भारत में असमानता गंभीर एवं काफी बुरी दशा में है। व्यापक रूप से बढ़ती निर्धनता और असमानता ने लोगों की क्रयशक्ति को कम कर दिया है, उन्हें बाज़ार से बाहर कर दिया है और इस प्रकार प्रगति को धीमा कर दिया है।

क्या यह सत्य है कि भूमंडलीकरण उपभोक्ताओं के लिए लाभदायक है?

उपभोक्ता वे हैं जो उत्पादन एवं सेवाओं जैसे वाहन, मोबाइल फोन, बीमा योजनाओं आदि के रूप में उनके समक्ष प्रस्तुत पर्याप्त विकल्पों से लाभ उठाने की आवश्यता का अनुभव करते हों। ये उपभोक्ता अधिकतर शहरों में रहने वाले मध्यवर्गीय पर्याप्त रोज़गार और आमदनी वाले हैं। और यह सत्य है कि "उपभोक्ता राजा" के बाज़ार अर्थव्यवस्था वाले सिद्धांत का सबसे अधिक लाभ इन्हीं लोगों को होता है। फिर भी, जब कभी कोई भूमंडलीकरण से उदारीकरण की तरफ जाता है तो यथापूर्व स्थिति के कारण लाभ कम होता है। इसी प्रकार ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होने पर ये उपभोक्ता भी सेवा दाता के रूप में नुकसान उठाएँगे।

संक्षेप में भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण, निजीकरण और बाज़ार अर्थव्यवस्था के प्रभाव को इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है :

- खाद्य पर आर्थिक सहायता वापिस लेने से घरेलू आमदनी उसी में खत्म हो जाएगी
- श्रमिकों की छंटनी होगी
- आयातित महँगी जीवन रक्षक दवाओं के कारण निर्धनों की स्वास्थ्य सेवाएँ प्रभावित होगी
- ईंधन मूल्यों में वृद्धि से आवश्यक वस्तुओं के भाव बढ़ जाएँगे
- सामाजिक क्षेत्र विशेषतः स्वास्थ्य और शिक्षा में खर्च घटाने से इन सेवाओं की उपलब्धता और गुणता में कमी आएगी।
- कुल मिलाकर निर्धनता में वृद्धि होगी
- आर्थिक सहायता में कमी आएगी

- धनी और निर्धन के बीच अंतर और गहरा होगा
- निरक्षरता बढेगी
- रोज़गार स्वरूप में बदलाव आएगा
- कुंठाओं से अपराधों में वृद्धि होगी
- सामाजिक सुरक्षा में कमी आएगी।

सारांश में कहा जा सकता है कि प्रभाव ऐसी परिस्थितियों में विशेष रूप गंभीर होगा जिनमें निर्धनों और संवेदनशील समूहों को संक्रमण काल में तात्कालिक प्रतिकूल प्रभावों से बचाने के साधन अपर्याप्त हैं।

इस बदलते परिदृश्य में समाज कार्य व्यवसाय की भूमिका

विकास सूत्रपात के रूप में अभी मुख्य कार्य निर्धनता वृद्धि की चुनौतियों का सामना करने के लिए व्यवसाय के रूप में समाज कार्य को अनुकूल बनाना होगा। यह वास्तव में सच है कि प्रगति या उन्नति होने स्वतः निर्धनता कम नहीं होती। समाज व्यवसाय को व्यक्तियों के लिए न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करना होगा। परिदृश्य काफी स्पष्ट है, सरकार अप्रत्यक्ष रूप से कल्याणकारी राज्य की अपनी भूमिका निभा रही है और अब समाज कार्यकर्त्ताओं को कठोर कदमों को रोकने का विशेष दायित्व बन जाता है।

समाज कार्य व्यवसाय की प्रथम आवश्यकता है मिलकर कार्य करना और स्थिति को संभालने के लिए एक मंच की स्थापना में समन्वित होकर कार्य करना। भारत के नागरिकों को एल.पी.जी. (लिक्विडाइजेशन 'धन अर्जन', प्राइवेटाइजेशन 'निजीकरण' और ग्लोबलाइजेशन 'भूमंडलीकरण' के बारे में पूरी तरह अवगत कराना महत्वपूर्ण है। वर्तमान में केवल सूचना छापी जा रही है लेकिन सूचना लोगों तक पहुँचना आवश्यक है।

भारतीय अर्थव्यवस्था पर एल.पी.जी. के प्रभावों से निपटने के लिए सामाजिक कार्य की स्वदेशी नीतियाँ विकसित करनी होंगी। व्यवसाय को पश्चिमी पद्धतियों और नीतियों से उधार लेने की वैध आलोचना का सामना करना पड़ता है हमें इस प्रवृत्ति को समाप्त करना होगा।

सामाजिक सुरक्षा की ढाल काफी नहीं है। अभी तक संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पेंशन, उपदान और वी आर एस के अंतर्गत अन्य लाभ तथा निर्धनों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी डी एस) के माध्यम से खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है। लेकिन वास्तव में असंगठित क्षेत्र में नियुक्त श्रमिकों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ने की अधिक संभावना है। अतः एक उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क के माध्यम से आर्थिक सुधारों को लागू करना आवश्यक है ताकि समाज के सर्वाधिक प्रतिकूल रूप से प्रभावित वर्गों के कल्याणकारी हितों की रक्षा की जा सके।

उपर्युक्त हालातों में सरकारी संसाधनों के अलावा अन्य संसाधनों का समाज कार्य प्रक्रिया में शामिल होना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए पर्याप्त महत्व रखने वाले उद्योगों, आवासीय कल्याणकारी एसोसिएशनों स्थानीय संस्थाओं को विकास क्षेत्र में प्रयोग करने की काफी संभावनाएँ हैं। औद्योगिक जगत ने सामाजिक दायित्व उठाने के लिए कार्य करना पहले ही आरंभ कर दिया है और वे अपनी इकाइयों के आसपास समुदायों की आवश्यकताओं को पूरा करने लगे हैं। यहाँ पर यह सुनिश्चित करना है कि ये लाभ वास्तविक रूप से जरूरतमंदों के पास पहुँचे और स्थाई हों।

निजी क्षेत्र को कल्याणकारी राज्य की भूमिका निभाने विशेषतः रोज़गार में आरक्षण करने के लिए मनाया जाना चाहिए। जैसा कि पहले चर्चा की गई है कि नियोक्ता के रूप में सरकार की भूमिका समाप्त होने से सदियों से शिक्षा और अन्य महत्वपूर्ण संसाधनों से वंचित रहने वाले समाज के कमज़ोर वर्गों पर काफी प्रभाव पड़ेगा। निजी क्षेत्र को समाज के हित में यह कल्याण कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। टाइटन इंडस्ट्रीज लि. जैसे उद्योग अपने उद्योगों में नियमित रूप से विकलांगों को रोज़गार प्रदान करते हैं ऐसी परंपराओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

समाज कार्य व्यवसाय का केंद्र बिंदु नीति निर्माण में विशेषतः जब इसका संबंध सामाजिक विषयों से हो तो सार्थक पारस्परिक संपर्क में परिवर्तित होना चाहिए। जब सरकार ने स्वेच्छा सेवा निवृत्ति की बड़ी घोषणा करने का निर्णय लिया तो कर्मचारियों के सेवानिवृत्ती पूर्व और परवर्ती जीवन शैली पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जहाँ कहीं आवश्यकता हो समाज कार्य व्यवसाय को अपना योगदान देना

चाहिए। इसके अतिरिक्त समाज कार्य राजनीतिक दृष्टिकोण से भी अकेले कार्य नहीं कर सकता। समाज कार्यकर्ता को राज्य प्रतिनिधियों तथा अन्य विचार नेताओं को चुनने में प्रभाव डालने वाला कार्य करना चाहिए।

समाज कार्य व्यावसायिकों/संस्थाओं द्वारा विकास और मानवाधिकारों के विशेष संदर्भ में भूमंडलीकरण के प्रभावों के बारे में अत्यधिक अनुसंधान किए गए हैं।

सूचना अधिकार को अधिकतम प्रयोग किया जाए और समाज कार्यकर्त्ताओं को इसमें एक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। यह आवश्यक है कि समाज के लिए लाभदायक उत्पाद सूचना लेकिन बहुराष्ट्रीय निगमों के लिए हानिकारक सूचना का आदान-प्रदान करना होगा। उदाहरण के लिए एक प्रसिद्ध शीतल पेय में अत्यधिक कीटनाशक मिलाने की मीडिया सूचना ने भारतीय और सार्वभौमिक उपभोक्ताओं की आँखें खोल दी हैं कि बहुराष्ट्रीय निगम विकासशील देशों के साथ क्या रुख अपनाते हैं।

जब कभी निजीकरण हावी हो जाता है तो सरकार लाभ अर्जित इकाइयों तक से निवेश निकालने का प्रयास करती है। ऐसे में उनके अप्रत्यक्ष उद्देश्यों का भेद खोलना चाहिए और कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए।

इन परिस्थितियों में सामाजिक कार्रवाई की आवश्यकता अनुभव की जाती है। बालको (भारत एल्यूमीनियम कम्पनी) का निजीकरण आने वाली परिस्थिति का द्योतक है, जिसका ट्रेड यूनियनों ने कठोर प्रतिरोध किया और समाज कार्य व्यवसाय ने इसका पूरा समर्थन किया।

समाज कार्य शिक्षा द्वारा श्रेष्ठ प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए जो भूमंडलीकरण प्रक्रिया और मानवीय पहलू के साथ सामाजिक विकास को सहज बनाने की उभरती प्रवृत्तियों के बारे में व्यावसायिकों को स्पष्ट विचार प्रदान कर सके।

"व्यावसायिकों को सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक कार्य के विरुद्ध सामाजिक समायोजन के संकल्पनात्मक विवाद को हल करना चाहिए जिससे बाज़ार अर्थव्यवस्था की चुनौती का सामना करने के लिए सामाजिक कार्य की आवश्यकता पर अधिक बल दिया जा सके।"

अंत में समाज कार्य व्यवसाय के लिए बाज़ार अर्थव्यवस्था के कारण उत्पन्न होने वाले दुष्प्रभावों और कदाचारों को दूर करने के अपने प्रयासों में सामंजस्य बनाए रखना अनिवार्य है।

सारांश

हम समझते हैं कि यद्यपि राष्ट्र अपने देश के नागरिकों के श्रेष्ठ हितों को बढ़ाने के लिए आर्थिक व्यवस्थाओं का सावधानी से चयन करते हैं तो भी अर्थव्यवस्थाओं की तरफ बहाव कठोर हो जाता है और अपरिहार्य सच्चाई बन जाता है। कठोर इसलिए कि कल्याणकारी राज्य की समाप्ति अधिकांशतः व्याप्त है और अनिवार्य इसलिए क्योंकि यह सार्वभौमिक घटना है। भारत भी इन आर्थिक सुधारों को स्वीकार करने को लिए विवश है जो अर्थव्यवस्था को नष्ट कर रहे हैं। इसके सामने भूमंडलीकरण, निजीकरण और बाज़ार अर्थव्यवस्था काफी आशावान दिखाई दे सकती है। फिर भी हमारे देश जैसे देशों में जहाँ अधिकांश आबादी न्यूनतम जीवन स्तर पाने के लिए राज्य पर निर्भर करती है यह अपूर्णिय क्षति का कारण बन सकता है।

जैसा कि हम देखते हैं कि समाजवादी और कल्याणकारी व्यवस्थाएँ समाप्त हो रही हैं और बाज़ार व्यवस्था प्रचलित हो रही है, सरकारी क्षेत्र की समाप्ति हो रही है इसी के साथ रोज़गार अवसरों, नौकरी की सुरक्षा और सामाजिक कल्याण की गुजांइश भी समाप्त हो रही है। क्या हमने देखा है कि निजी क्षेत्र ने समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए पदों का कितनी बार आरक्षण किया है? प्रगति को एक तरफ छोड़ दें तो उनके जीवन का क्या हुआ है?

आने वाले वर्षों में ये सभी कारण अमीर और निर्धन में विद्यमान अंतर को और बढ़ाएँगे। कमज़ोर नियंत्रण तंत्र और नगण्य सामाजिक कल्याण उपायों से विकास के द्वार वंचितों के लिए कभी नहीं खुलेंगे अर्थात् विकास का लाभ इन वर्गों को कभी नहीं होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला और बच्चों की देखभालन, उपेक्षित वर्गों के लिए विशेष अवसरों के महत्वपूर्ण सामाजिक विकास के सभी तथ्य विगत की बातें होने वाली है।

इस पृष्ठभूमि के विरुद्ध सामाजिक कार्य व्यवसाय मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकता। उन्हें स्वयं को संगठित करने तथा निर्धन वर्ग के कल्याण के लिए प्रकोष्ठ

बनाने के लिए एक सक्रिय मंच बनाने की आवश्यकता है। उन्हें निर्धनता उन्मूलन के मुख्य केंद्र बिंदु को बनाए रखने के लिए आग्रही होना होगा। समाज न्याय विद्यमान रहना चाहिए ताकि सही अर्थों में विकास हो। क्योंकि वास्तविक उन्नति प्रगति के समकक्ष नहीं हो सकती।

कुछ उपयोगी पुस्तकें

दास के. देबेन्द्र, संपादित (1994), *स्ट्रक्चरल एडजेस्टमेंट इन द इंडियन इकोनॉमी,* दीप एवं दीप पब्लिकेशंस, नई दिल्ली।

दत्त रुद्र संपादित (2002), *सैकेंड जनरेशन इक्नोमिक रिफोमर्स इन इंडिया,* दीप एंड दीप पब्लिशर्स, नई दिल्ली।

जैन, टी.आर. एंड ओहरी, वी.के. (1997), *माइक्रो इक्नोमिक्स एंड इक्नोमिक सिस्टम्स,* वी.के. पब्लिकेशंस, नई दिल्ली।

कुलकर्णी, पी.डी. एंड नानावटी सी. मेहर, संपादित (1997), *सोशल इश्यूज इन डेवलपमेंट,* उप्पल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।

मिथानी, डी.एम. (1987), *डायमेंशंस ऑफ कैपिटल्जिम, सोशयलिज्म एंड डेवलपमेंट,* हिमालय पब्लिशिंग हाउस, मुम्बई।